

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 43-2018 Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 12, 2018 (PHALGUNA 21, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 12th March, 2018

No. 18-HLA of 2018/18/4126.— The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 18- HLA of 2018

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2018 BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2018.
- Short title.
- **2.** After section 7 of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of section 7A in Haryana Act 24 of 1973.

"7A. Time limit for delimitation and reservation of wards.- The work relating to the delimitation and reservation of wards of the municipal committee shall be completed six months before the completion of the tenure of municipal committee, failing which the State Election Commission shall go ahead with the process of preparation of electoral rolls and conduct of elections on the basis of existing delimitation and reservation of wards."

- 3. In sub-section (1) of section 13A of the principal Act,-
 - (i) in clause (i), for the sign "." existing at the end, the sign and word "; or" shall be substituted; and
- Amendment of section 13A of Haryana Act 24 of 1973.
- (ii) after clause (i), the following clause shall be added at the end, namely:-
 - '(j) if he makes expenditure beyond the prescribed limit on his election or fails to submit his election expenditure statement.".

Amendment of section 13H of Haryana Act 24 of 1973.

4. In section 13H of the principal Act, the following words, figure and signs shall be added at the end, namely:-

"The Deputy Commissioner or such officer shall, send a list of those candidates who contested but fail to lodge the account of election expenditure or made expenditure beyond the limit prescribed by the State Election Commission immediately after the completion of a period of thirty days from the declaration of election result. The State Election Commission shall accordingly pass an order of their disqualification under section 13F.".

Insertion of sections 13 I, 13 J and 13 K in Haryana Act 24 of 1973.

- 5. After section 13H of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-
 - "13I. Removal of an elected member having any disqualification at time of election.- The State Election Commission may, after such enquiry, as it may deem fit and after giving an opportunity of being heard, by order, remove a member, if he was having any disqualification mentioned in section 13A or rules framed under this Act at the time of his election. The office of the member so disqualified shall become vacant immediately.
 - 13J. Removal of an elected member who fails to lodge election expenditure statement.- If an elected member fails to follow the provisions of sections 13F or 13H, he shall be removed by the State Election Commission after giving him an opportunity of being heard. The office of the member so disqualified shall become vacant immediately.
 - 13K. Review.- A member so disqualified under section 13I or 13J may file an application for review of order before the State Election Commission within a period of forty-five days from the receipt of the order. The order passed by the State Election Commission under this section shall be final and no civil court shall have jurisdiction to entertain a petition against such order."

Amendment of section 14 of Haryana Act 24 of 1973.

6. In clause (f) of sub-section (1) of section 14 of the principal Act, the signs and words ", or if it appears that he was, at the time of his election or nomination subject to any such disqualification" shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

- The wardbandi process of the municipalities is not being completed prior to the due date of election because of various reasons, resultantly the election of the municipalities delay unnecessarily. This also causes hurdles in the functioning of the State Election Commission to fulfill its constitutional obligations and invites unnecessary litigations. Therefore, State Election Commission has recommended to make the provisions in the **Haryana Municipal Act, 1973** to complete the process of inclusion or exclusion of area or reformation of wards before six months of completion of tenure of any municipality; otherwise it will be at the descretion of the State Election Commission to start electrol process on the basis of present and prevailing delimitation. The said insertion has already been made by the Government of Madhya Pradesh in view of the direction dated 19.10.2006 of the Hon'ble Supreme Court of India passed in Appeal (Civil) 5756 of 2005 titled as Kishan Singh Tomar Vs Municipal Corporation of the City of Ahemdabad and others. It might become legal boundation to complete the wardbandi process six months before the completion of tenure of **Municipal Councils/Committees** and the State Election Commission may perform its constitutional obligation perfectly to conduct the elections of **Municipal Councils/Committees** timely.
- 2. Further, it has been observed by the State Election Commission that if any contesting candidate fails to lodge account of election expenses within prescribed period to the competent authority, he should be barred/disqualified for contesting elections.
- 3. Under Section-14 of the Haryana Municipal Act, 1973, the powers for removal of the members of Municipal Council/ Committee having any disqualification at the time of election lie with the State Government. The Government has also made educational qualification mandatory for the contesting candidates, but several complaints are being received in the State Election Commission as well as the district offices w.r.t. attachment of fake educational qualification certificates issued by the unrecognized institutions/boards with the nomination papers. The State Election Commission has no power to take action against such defaulting elected candidates; resultantly, the Commission is helpless in dispensing justice to the complainants. Therefore, State Election Commission intends that the powers for the removal of an elected person having any disqualification at the time of election should be vested in the State Election Commission, so that in future such matters are sorted out immediately and justice is done to the general public.

	KAVITA JAIN, Urban Local Bodies Minister, Haryana.
Chandigarh: The 12th March, 2018.	R. K. NANDAL, Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या-18 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2018

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनयमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

- 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।
- 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 7क का रखा जाना।
- 2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"7क. वार्डों के परिसीमन तथा आरक्षण की समय सीमा.— नगरपालिका समिति के वार्डों के परिसीमन तथा आरक्षण से सम्बन्धित कार्य नगरपालिका समिति की अविध पूरी होने से छह मास पूर्व पूरा किया जाएगा, उसमें असफल रहने पर, राज्य निर्वाचन आयोग वार्डों के विद्यमान परिसीमन तथा आरक्षण के आधार पर निर्वाचक नामाविलयां तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन की प्रक्रिया कार्यान्वित करवाएगा।"।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13क का संशोधन।

- 3. मूल अधिनियम की धारा 13क की उपधारा (1) में,—
 - (i) खण्ड (झ) में, अन्त में, विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''; या'' चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
 - (ii) खण्ड (झ) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--
 - ''(ञ) यदि वह अपने निर्वाचन पर विहित सीमा से अधिक खर्च करता है या अपना निर्वाचन खर्च विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है।''।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13ज का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 13ज में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द, चिह्न तथा अंक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"उपायुक्त या ऐसा अधिकारी, उन उम्मीदवारों की सूची भेजेगा जिन्होंने चुनाव लड़ा है किन्तु निर्वाचन परिणाम की घोषणा से तीस दिन की अवधि पूरी होने के बाद तुरन्त निर्वाचन खर्चे के लेखे दर्ज करवाने में असफल रहते हैं या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित सीमा से अधिक खर्च करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग तद्नुसार धारा 13च के अधीन उनकी निरर्हता के आदेश पारित करेगा।"।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 13झ, 13ञ तथा 13ट का रखा जाना।

. मूल अधिनियम की धारा 13ज के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"13झ. निर्वाचन के समय कोई निरर्हता रखने वाले निर्वाचित सदस्य को हटाया जाना.— राज्य निर्वाचन आयोग, ऐसी जांच के बाद, जैसा वह उचित समझे और सुनवाई का अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि वह अपने निर्वाचन के समय धारा 13क या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित कोई निरर्हता रखता था। इस प्रकार निरर्हक सदस्य का पद तुरन्त रिक्त हो जाएगा।

13ञ. निर्वाचन खर्च विवरण दर्ज करवाने में असफल रहने वाले निर्वाचित सदस्य को हटाया जाना.— यदि कोई निर्वाचित सदस्य धारा 13च या 13ज के उपबन्धों की अनुपालना करने में सफल रहता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद हटाया जाएगा। इस प्रकार निरर्हक सदस्य का पद तुरन्त रिक्त हो जाएगा।

13ट. पुनर्विलोकन.— धारा 13झ या 13ञ के अधीन इस प्रकार निरहंक सदस्य आदेश की प्राप्ति से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग के सम्मुख आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन दायर कर सकता है। इस धारा के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे आदेश के विरूद्ध कोई याचिका ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।"।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 14 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप—धारा (1) के खण्ड (च) में, ''या यदि यह प्रतीत होता है कि वह अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन के समय ऐसी किसी निरर्हता का भाजन था' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

- 1. पालिकाओं की वार्डबन्दी की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से उनके चुनाव की देय तिथि से पूर्व पूर्ण नहीं हो पाती है, जिसके कारण पालिकाओं के चुनाव करवाने में अनावश्यक देरी होती है। यह राज्य चुनाव आयोग के संवैधानिक कर्तव्यों को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न करता है तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी को आमन्त्रित करता है। इसलिये राज्य चुनाव आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई है कि हिरयाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में यह प्रावधान किया जाये कि वार्डों में क्षेत्र को सिम्मिलत करने या निकालने या वार्डों का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पूर्व पूर्ण की जाये, अन्यथा यह राज्य चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर होगा कि वह पूर्व निर्धारित वार्डबन्दी के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ करें। मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) 5756 ऑफ 2005 किशन सिंह तोमर बनाम नगर निगम, अहमदाबाद तथा अन्य के केस में दिनांक 19.10.2006 को दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी यह प्रावधान किया हुआ है। इससे नगर परिषदों/पालिकाओं का कार्यकाल पूर्ण होने से छः माह पूर्व वार्डबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण करने की कानूनी बाध्यता होगी तथा राज्य चुनाव आयोग नगर परिषदों/पालिकाओं के समय पर चुनाव करवाने के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेगा।
- 2. आगे, राज्य चुनाव आयोग द्वारा यह देखा गया है कि यदि कोई चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अपना चुनाव खर्चा निश्चित समय अवधि में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उसे चुनाव लड़ने से वर्जित/अयोग्य करार दिया जाये।
- 3. हिरयाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा—14 के अन्तर्गत नगर परिषदों / पालिकाओं के सदस्यों की, जो चुनाव के समय अयोग्य थे, को पद से हटाने की शिक्तयां राज्य सरकार में निहित हैं। सरकार द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये शैक्षणिक योग्यतायें आवश्यक की गई हैं, परन्तु राज्य चुनाव आयोग तथा जिला कार्यालयों में अमान्यता प्राप्त संस्थानों / बोर्डों द्वारा जारी किये गये जाली शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र नामांकन—पत्र के साथ सलंग्न करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। राज्य चुनाव आयोग को दोषी निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शिक्तयां नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप आयोग शिकायतों का निपटान करने में असहाय होता है। इसलिये राज्य चुनाव आयोग द्वारा चाहा गया है कि निर्वाचित व्यक्ति जो चुनाव लड़ने के समय कोई भी अयोग्यता रखता है, उसे हटाने की शिक्तयां राज्य चुनाव आयोग में निहित होनी चाहियें तािक भविष्य में ऐसे मामलों का निपटान तुरन्त किया जा सके तथा आम जनता के साथ न्याय हो सके।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री
हरियाणा ।

चण्डीगढ़: दिनांक 12 मार्च, 2018. आर० के० नांदल, सचिव।

56102—H.V.S.—H.G.P., Chd.